



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273377
CG-DL-E-12062026-273377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 418]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 468(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 77-81 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम का उपयोग (लाइसेंसिंग अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना— ये 77-81 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड के संबंध में लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति" से कुल वह शक्ति अभिप्रेत है जिसे एंटीना के सबसे मजबूत बीम की दिशा में वास्तविक स्रोत के समान सिग्नल शक्ति देने के लिए एक काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना द्वारा विकीर्ण करना होगा;

(ख) "हस्तक्षेप" से एक रेडियो संचार प्रणाली में सिग्नल प्राप्त होने पर उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण के एक या उनके संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव अभिप्रेत है, जो किसी भी प्रदर्शन गिरावट की जानकारी, गलत व्याख्या या उसके ना मिलने से प्रकट होता है जो इस तरह की अवांछित ऊर्जा न होने पर प्राप्त की जा सकती थी;

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय मानकों" से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान और गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित मानक अभिप्रेत है;

(घ) "पोर्टल" से ऐसा पोर्टल अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट पर इस संबंध में निर्दिष्ट करे;

(ङ) "शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम" से रेडियोलोकेशन उद्देश्यों के लिए वाहन पर स्थापित 77-81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाला एक रेडियो उपकरण अभिप्रेत है; तथा

(च) "वाहनों" में यात्री कार, बस, ट्रक, टैक्सी के रूप में प्रयुक्त विमान, रेल रोड लोकोमोटिव, ट्रेन कार, मोनोरेल या ट्राम, निर्माण वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर संचालित नाव या पोत शामिल हैं, किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियमों, नियम या उक्त योजना में दिए गए हैं।

4. लाइसेंसिंग अपेक्षा से छूट- (1) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 में निहित किसी बात के होते हुए भी, उप-नियम (2) से (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन -

(क) किसी वाहन पर स्थापित और 77-81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में संचालित शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम की स्थापना, रखरखाव या कार्यकरण को रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवंटन किए बिना, गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण और गैर-अनन्य आधार पर अनुमति दी जाएगी; और

(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम को रखने या किसी भी डीलर द्वारा इसकी विक्री करने या किराए पर लेने के लिए किसी लाइसेंस की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुरूप होगा -

सारणी

फ्रीक्वेंसी बैंड	#अधिकतम औसत समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति	* अधिकतम उच्चतम समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति	अधिकतम उत्सर्जन बैंडविड्थ	अधिकतम अवांछित उत्सर्जन सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77-81 गीगाहर्ट्ज	50 डीबीएम	55 डीबीएम	4 गीगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज

औसत डिटेक्टर का उपयोग करके 1 मेगाहर्ट्ज रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ में मापा जाना है और कुल उत्सर्जन बैंडविड्थ पर एकीकृत किया जाना है।

* पूरे उत्सर्जन बैंडविड्थ पर पीक डिटेक्टर का उपयोग करके 1 मेगाहर्ट्ज रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ में मापा जाना है, उत्सर्जन बैंडविड्थ पर एकीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन अनुमति और खंड (ख) के अधीन छूट, प्रत्येक प्रकार के शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम के लिए इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित रूप में पोर्टल पर इस संबंध में आवेदन करके प्राप्त की जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे किसी आवेदन की अपेक्षा नहीं होगी जब इस तरह की मंजूरी पहले संगत उपकरण प्रकार के लिए दी गई हो और पोर्टल पर प्रकाशित की गई हो।

(4) शार्टरेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम ऐसे मानकों के अनुरूप होगा जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार या दोनों द्वारा अधिसूचित किया जाए:

परंतु यह कि जहां ऐसे कोई मानक प्रकाशित नहीं किए गए हैं, शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम संगत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

(5) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन अनुज्ञप्तिधारक किसी व्यक्ति से इस आशय की कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो उपकरण से हानिकारक हस्तक्षेप प्राप्त हो रहा है, केन्द्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी, जो इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे छूट प्राप्त रेडियो उपकरणों के प्रयोक्ता को शीघ्रता से और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जैसा कि ऐसे निदेश में निर्दिष्ट किया जाए, हस्तक्षेप से बचने के उपाय (जैसे कि उपकरणों का स्थानांतरण, इसकी शक्ति में कमी और निर्दिष्ट प्रकार के एंटीना का उपयोग) करने के निदेश दे सकता है।

अनुसूची

[नियम 4(3) देखें]

उपकरण प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन का रूप*

खंड क: आवेदक का विवरण

1. उपकरण प्रकार अनुमोदन के लिए :
आवेदन करने वाली विनिर्माण अभिकरण का नाम
2. निर्माण अभिकरण का डाक पता :
3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाली :
भारतीय अभिकरण का नाम और पता
4. उत्पाद का नाम और उत्पाद :
पहचान (मॉडल नंबर आदि)

खंड ख: ट्रांसमीटर का विवरण

5. फ्रिक्वेंसी रेंज :
6. प्रीसेट स्विच करने योग्य चैनलों की संख्या :
7. वॉयस/डेटा/टेलीविजन चैनलों की संख्या :
(मल्टी-चैनल उपकरण के मामले में)
8. Tx-Rx चैनल पृथक्करण :
(डुप्लेक्स/मल्टी-चैनल उपकरण के मामले में)
9. आसन्न चैनल पृथक्करण :
(मल्टी-चैनल उपकरण के मामले में)
10. फ्रिक्वेंसी स्थिरता :
11. नकली/हार्मोनिक विकिरण :
- (क) कैरियर दबाव :
(कैरियर सप्रेसड सिस्टम के मामले में)
- (ख) अवांछित साइड बैंड दबाव :
(सिंगल साइड बैंड सिस्टम के मामले में)
- (ग) दूसरा हार्मोनिक विकिरण :
- (घ) तीसरा हार्मोनिक विकिरण :
12. अधिकतम फ्रिक्वेंसी विचलन:
13. उत्सर्जन की रीति :
14. उत्सर्जन की बैंडविड्थ :

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2026

G.S.R. 468(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of Short-Range Automotive Radar System in the 77-81 GHz band (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—They shall apply in respect of the 77-81 GHz frequency band.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “equivalent isotropic radiated power” means the total power that would have to be radiated by a hypothetical isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the strongest beam of the antenna;

(b) “interference” means the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction on reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation or loss of information that could have been extracted in the absence of such unwanted energy;

(c) “international standards” mean standards published by international organisations such as the International Telecommunications Union, the European Telecommunications Standards Institute, the American National Standards Institute and the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection;

(d) “portal” means such portal as the Central Government may specify in this behalf on the website of the Department of Telecommunications, Government of India;

(e) “Short-Range Automotive Radar System” means a radio equipment operating in the 77-81 GHz frequency band installed on a vehicle for radiolocation purposes; and

(f) “vehicles” include, but are not limited to, passenger cars, buses, trucks, aircraft while taxing, railroad train locomotives, train cars, monorails or trams, construction vehicles, motorcycles, scooters and boats or ships operated within territorial waters of India.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the rules made under the said Acts or the National Frequency Allocation Plan of the Central Government shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, the said rules or the said plan.

4. Exemption from licensing requirement.—(1) Notwithstanding anything contained in the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965, subject to fulfilment of the conditions specified in sub-rules (2) to (5),—

(a) the establishment, maintenance or working of a Short-Range Automotive Radar System installed on a vehicle and operating in the 77–81 GHz frequency band, shall be permitted without assignment of radio frequency, on non-interference, non-protection and non-exclusive basis; and

(b) no license shall be required for possession of such Short-Range Automotive Radar System by any person or its sale or hire by any dealer.

(2) The Short-Range Automotive Radar System shall conform to the parameters specified in the following Table, namely:—

TABLE

Frequency band	#Maximum average equivalent isotropic radiated power	*Maximum peak equivalent isotropic radiated power	Maximum emission bandwidth	Maximum unwanted emissions limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77-81 GHz	50 dBm	55 dBm	4 GHz	-30 dBm/MHz

To be measured over 1 MHz resolution bandwidth using average detector and integrated over the total emission bandwidth.

* To be measured over 1 MHz resolution bandwidth using peak detector over the entire emission bandwidth, shall not be integrated over the emission bandwidth.

(3) Permission referred to in clause (a) of sub-rule (1) and exemption referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be sought for each equipment type of Short-Range Automotive Radar System by making an application in this behalf on the portal in the form set out in the Schedule annexed to these rules:

Provided that no such application shall be required where such approval has previously been accorded for the similar equipment type and is published on the portal.

(4) The Short-Range Automotive Radar System shall be in conformity with such standards as may be notified by the Bureau of Indian Standards or the Central Government or both:

Provided that where no such standards have been published, the Short-Range Automotive Radar System shall conform to relevant international standards.

(5) On receipt of any information from a person, who holds a license under the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 that his licensed system is receiving harmful interference from any other radio equipment exempted under these rules, the Central Government or such officer as may be authorised by it in this behalf may direct the user of such exempted radio equipment to expeditiously and not later than such timeframe as may be specified in such direction, carry out measures to avoid interference, such as relocation of equipment, reduction in its power and use of antennae of specified type.

SCHEDULE

[See rule 4(3)]

Form of application for equipment type approval***Section A: Details of applicant**

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :
2. Postal address of manufacturing agency :
3. Name and address of Indian agency applying for the type approval :
4. Name of product and the product identification (model number etc.) :

Section B: Details of transmitter

5. Frequency range :
6. Number of preset switchable channels :
7. Number of voice/data/television channels :
(In case of multi-channel equipment)
8. Tx-Rx channel separation :
(In case of duplex/multi-channel equipment)
9. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
10. Frequency stability :
11. Spurious/harmonic radiations :
- (a) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
- (b) Unwanted side band suppression :
(In case of single side band systems)
- (c) 2nd harmonic radiations :
- (d) 3rd harmonic radiations :
12. Maximum frequency deviation:
13. Mode of emission :
14. Bandwidth of emission :
15. Test tone deviation :
16. Base band frequency :
(In case of multi-channel equipment)
17. Type of modulation to be required :
18. Pre-emphasis :
19. Power output (At the input of antenna) :
20. Any other information :

Section C: Details of receivers

21. Frequency range :
22. Mode of reception :
23. Spurious response of receiver :
24. Sensitivity :
25. Frequency stability :
26. (a) Effective noise temperature :
- (b) Threshold input level :
27. Intermediate frequency :
28. De-emphasis :
29. Selectivity :
30. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place:

Date:

***Note:** Separate application should be submitted for each type of equipment

[F. No. R-11014/03/2025-NT]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.